महाप्रबंधक, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 26.08.2025 को 03:00 बजे अपराह्न में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न वादों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री संजय कुमार, अवर सचिव, निगरानी प्रशाखा–03
2. श्री पीयुष रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी
3. श्री प्रवीण कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी
4. श्री पवन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री रजनी कान्त रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी

आज दिनांक– 26.08.2025 को 03:00 बजे अपराह्न में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में दायर वादों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा लंबित रहने के मामलों की प्रशाखावार समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त निम्न निदेश दिया गया:–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में दायर वादों में विभाग द्वारा कई मामलों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किये जाने की कार्रवाई की जानी है। कई वाद वर्ष–2025 के पूर्व में ही दायर किया गया है जिसमें ओथ दायर नहीं किया जा सका है।
2. माननीय न्यायालय में दायर अवमाननावाद में कारण पृच्छा दायर नहीं किये जाने कुल– 09 मामला है। उक्त सभी मामले वर्ष–2025 का है। 09 मामलों में से 04 मामला प्रशाखा–14 से संबंधित है। प्रशाखावार अवमाननावाद की स्थिति निम्नवत है:–

क्र०सं०	प्रशाखा	अवमाननावाद	अद्यतन स्थिति
1.	प्रशाखा–06	M.J.C. No………./2025 जावेद अशरफ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संचिका तकनीकी परामर्शी (विधि) को पृष्ठांकित है।
2.	प्रशाखा–06	M.J.C. No -2699/2025 रामायण राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	प्रतिशपथ दायर करने हेतु अनुमोदित तथ्य विवरणी GP-19, पटना उच्च न्यायालय पटना को प्रेषित की गई है।

3.	प्रशाखा–05	M.J.C. No -----/2025 शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संचिका तकनीकी परामर्शी (विधि) को पृष्ठांकित है।
4.	प्रशाखा–02	M.J.C. No ----------/2025 श्रीकान्त सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	पुरक कारण पृच्छा दायर करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संचिका तकनीकी परामर्शी (विधि) को पृष्ठांकित हैं।
5.	प्रशाखा–14	M.J.C. No ----------/2025 विजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	संबंधित कार्यपालक अभियंता को तथ्य विवरणी तैयार कर विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है।
6.	प्रशाखा–14	M.J.C. No ----------/2025 सिंह कन्स० प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	संबंधित कार्यपालक अभियंता को तथ्य विवरणी तैयार कर विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है।
7.	प्रशाखा–14	M.J.C. No -2636/2025 महेश्वर क्षेत्रेश्वरी कन्स० प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	संबंधित कार्यपालक अभियंता को तथ्य विवरणी तैयार कर विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है।
8.	प्रशाखा–14	M.J.C. No -2635/2025 महेश्वर क्षेत्रेश्वरी कन्स० प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	संबंधित कार्यपालक अभियंता को तथ्य विवरणी तैयार कर विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है।
9.	प्रशाखा–11	M.J.C. No -654/2024 राजेन्द्र राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मोतिहारी को तथ्य विवरणी तैयार कर विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

3. उक्त सभी अवमाननावाद के मामले में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को दो सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा/पूरक कारण पृच्छा दायर करने का निदेश दिया गया।
4. समादेश याचिका से संबंधित विभाग में वर्ष–2025 के पूर्व कुल–19 मामलों में प्रतिशपथ दायर नहीं किया गया है तथा वर्ष–2025 में इस तरह कुल 83 मामला है। उक्त 83 मामलों में से 54 मामला प्रशाखा–14 से संबंधित है, जिसमें से 03 मामला वर्ष–2025 के पूर्व का है। प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 द्वारा बाताया गया कि इन मामलों में क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर से तथ्य विवरणी तैयार किया जाना है तथा साथ ही माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ दायर भी किया जाना है। प्रशाखा पदाधिकारी–14 को संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर सभी मामलों में एक माह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य प्रशाखा से

संबंधित मामलें में प्रशाखा पदाधिकारी को भी शीघ्र प्रतिशपथ दायर करने का निदेश दिया गया।

5. एक मामला एस०एल०पी० से संबंधित है। संबंधित प्रशाखा को माननीय उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ओथ दायर करने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

26/08/25

(डॉ फातेह फैयाज)
महाप्रबंधक, ब्राडा
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०प्र०–1–07/2025 9879 पटना दिनांकः– 15.9.25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, प्रशाखा–7, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/25

महाप्रबंधक, ब्राडा
ग्रामीण कार्य विभाग